

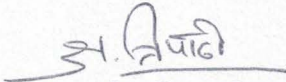
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
केपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 30/03/13

क्रमांक एफ 10-17/2013/वा.कर (आब.)/पांच (23) - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 8 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 10-23/2012/वा.कर(आब.)/पांच (29), दिनांक 16 मई 2012 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा ऐसी विदेशी मदिरा (बीयर को अपवर्जित करते हुए), जिसकी लैंडिंग प्राईस रुपये 825/- (अक्षरी रुपये आठ सौ पचीस) प्रति पेटी (अर्थात् 12 क्वार्ट बोतल) तक हो, का विदेशी मदिरा एफ.एल.1 घ फुटकर दुकान से एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञप्तिधारियों के लिए परिवहन प्रतिषिद्ध करती है।

2/ यह अधिसूचना दिनांक 01.04.2013 से प्रवृत्त होगी।

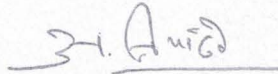
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(ए. पी. त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 30/03/13

क्रमांक एफ 10-17/2013/वा.कर (आब.)/पांच (23) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (तीन) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-17/2013/वा.कर(आब.)/पांच (23), दिनांक 30/03/13 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(ए. पी. त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

**Government of Chhattisgarh,
Commercial Tax (Excise) Department ,
Mantralaya, Mahanadi Bhawan,
Capital Complex, Naya Raipur**

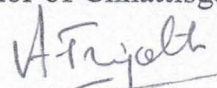
// NOTIFICATION //

Raipur, Dated 30 /03/2013

No. F 10-17/2013/CT(Ex)/V(23) - In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 8 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and suppression of the previous Notification No. F 10-23/2012/CT(Ex)/V(29), Raipur Dated, 16th May, 2012 issued in this behalf, the State Government hereby, prohibits transportation of such Foreign liquor (excluding Beer) of which landing price is upto Rs. 825/- (In words Rs. Eight Hundred Twenty Five) per case (i.e.12 Quart Bottles) from F.L.ID retail shop of Foreign liquor to the licensees of F.L.3 Hotel Bar Licence.

2/ This notification shall come into force with effect from 1st April, 2013.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,


(A.P.Tripathi)
Joint Secretary